तारीख हुकम	रंगलाल बनाम उप तहसीलदार बांदीकुई वगैरा किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण संख्या – 40/2018	तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

4.7.2018

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 द्वारा दिनांक 2.7.2018 को उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संधारण किये जाने योग्य नहीं है। इस बिन्दु पर बहस हेतु अनुरोध किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि किसी भी संभावना के आधार पर प्रार्थना पत्र/अपील प्रस्तुत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के बिना कोई आदेश पारित किये ही मनगढंत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आज बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उप जिला कलक्टर बांदीकुई के मुकदमा उनवानी सतीश कुमार बनाम रूकमणी में पारित निर्णय दिनांक 9.4.2018 की पालना में तहसीलदार बसवा/नायब तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी का नाम हटाकर सतीश व रूकमणी के नाम इन्द्राज करने का आदेश नही होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी के नाम को हटाकर और अप्रार्थी सं0 4 सतीश कुमार व रूकमणी के नाम नामान्तरकरण भरकर तस्दीक किया जा रहा है। चूंकि प्रार्थी को बिना सुने ही तहसीलदार बसवा/नायब तहसीलदार बांदीकुई नामान्तरकरण तस्दीक करने पर आमादा हो रहे है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी को सुना जाकर नामान्तरकरण तस्दीक करने सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमाये जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व प्रार्थी स्वयं को सुना जाने हेतु अवसर चाहता है। उक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व प्रार्थी रंगलाल पुत्र झूंथा जाति मीना निवासी भांवती तहसील बसवा जिला दौसा को सुना जाकर अग्रिम नियमोचित कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official